कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0।

राजसात वाहनों के निवर्तन हेतु निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति

जावक कमांक/99 **शिवपुरी दिनांक** 01-05-2024

इस न्यायिक जिला स्थापना में मालखाना अनुभाग, शिवपुरी में आपराधिक प्रकरणों के जप्तशुदा संलग्न सूची के वाहनों को जहां है जैसा है कि स्थिति में नीलाम/विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है। उक्त वाहन के विक्रय/नीलामी हेतु उक्त वाहनों के सामने वर्णित न्यूनतम ऑफसेट मूल्य निर्धारित किया गया है तथा उक्त वाहन वर्ष 2007 से 2016 के मध्य के प्रकरणों के हैं। उक्त वाहनों के विक्रय हेतु 03 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट तथा मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत स्थान न्यायालय परिसर शिवपुरी म0प्र0 तथा दिनांक 01.06.2024 अथवा उसके पश्चात् के कार्यदिवस शनिवार को प्रातः 11:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है वाहनों के निरीक्षण हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर/सेल अमीन शिवपुरी से संपर्क किया जा सकता है।

खुली नीलामी/विक्रय की शर्तेः-

01- मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा 02 पहिया वाहनों का पृथक-पृथक न्यूनतम अपलेखन मूल्य संलग्न सूची में उक्त वाहन के सम्मुख अंकित अनुसार **न्यूनतम शासकीय बोली** नियत है।

02- नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से पूर्व एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। **वाहन जिस स्थिति में है, जहां खड़ा है, उसी स्थिति में नीलाम होंगे एवं सौंपे जावेंगे** इसलिए बोली बोलने बाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहनों का पूर्ण निरीक्षण कर लें।

03- जिसकी अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 25 प्रतिशत राशि जमानत के तौर पर अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी। इस राशि में उसकी जमानत के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। अवशेष में जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जावेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जप्त कर ली जावेगी। जप्तशुदा वाहनों का अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के नाम से जमा कर सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

04- अंतिम बोली की स्वीकृति मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा की जाएगी तथा मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

05— सक्षम अधिकारी का किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा मुद्‌देमाल नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी को प्राप्त होगा।

06— जप्तशुदा वाहनों के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने पर क्रेता को उक्त वाहनों को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय शिवपुरी से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा। विलंब की स्थिति में दैनिक आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी द्वारा निर्धारित स्थल भाटक अदा करना होगा।

07— नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

08— अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

09— संबंधित जप्तशुदा वाहन जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में उपलब्ध हैं इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर/सेल अमीन शिवपुरी से संपर्क किया जा सकता है।

10— बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर जप्तशुदा वाहनों को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में उनके द्वारा नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी हैं ऐसा माना जावेगा।

11— उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

नोटः— उक्त वर्णित वाहनों से संबंधित किसी पक्षकार/दावेदार को यदि कोई आपत्ति हो तो वह नीलामी के 07 दिवस पूर्व तक अपना दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, समयावधि पश्चात् प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर विचार न होने के लिए पक्षकार/दावेदार स्वयं दायित्वधीन रहेंगे।

01-05-2024

विवेक पटेल

संलग्नः— वाहनों की सूची।

प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुभाग
जिला न्यायालय शिवपुरी म0प्र0

नीलामी / विक्रय किये जाने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

क0	माल नंबर	न्यायालय का प्रकरण कमांक	राजसात वाहन का प्रकार	कंपनी	मॉडल	चेचिस नंबर	राजसात वाहन कहां रखा है।	वाहन के अंतिम रूप से राजसात होने का दिनांक	वाहन की वर्तमान हालत	कार्यपालन यंत्री वि/यां द्वारा निर्धारित मूल्य	रिमार्क
1.	463/07	RCT 1043/07 शा0पु0 पिछोर वि0 जियेन्द्र सिंह आदि अप0नं0 02/07	BAJAJ BOXER MP 33 B1861	Bajaj	-----	DFFBF4177404	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	28.02.2012	खराब	3000/-	
2.	722/07	CRA 443/17 शा0पु0 करैरा वि0 बसंत कुमार। अप0 नं0 479/07	BOXER MP07 KL9011	Bajaj	2005	DMFB5B78534	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	04.08.2018	खराब	2500/-	
3.	262/09	SC DOCT 15/09 शा0पु0 तेंदुआ वि0 जगदीश रावत अप0 नं0 20/09	PASSION	HERO HONDA	-----	01M21C29590	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	22.10.2010	खराब	4000/-	
4.	549/09	RCT 1998/06 शा0पु0 करैरा वि0 कल्ला। अप0नं0 293/06	Rajdoot	**Escorts**	-----		मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	30.08.2010	खराब	2000/-	वाहन स्वामी के द्वारा लेने से मना करने के कारण
5.	577/09	बाल न्यायालय 128/09 शा0पु0 पोहरी वि0 प्रभात रावत। अप0 नं0 91/09	TVS VICTOR GL MP 33 BA...	TVS	-----	MD625AF1531L 14850	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	04.02.2011	खराब	3500/-	वाहन स्वामी के दावा न करने से

6.	434/14	SC ATR 56/14 शा0पु0 सतनवाड़ा वि0 आकाश आदि। अप0नं0 22/14	TVS STAR MP 33MA2520	TVS	2006	MD625K85871A 31604	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर	11.11.2016	खराब	4500/-	वाहन स्वामी पर कागजात न होने से
7.		चार्जसूची में नहीं है।	Luna champion MP08 7481	TVS	-----	BZ02F58230	मालखाना अनुभाग शिवपुरी पर		खराब	1200/-	
				मालखाना अनुभाग पोहरी पर रखे हुए वाहन							
8.	51/12	RCT 674/11 शा0पु0 शा0पु0 बैराड़ वि0 बनवारीलाल।	Bajaj Platina MP 33 MB 2080	Bajaj	------	MD2DDDZZZP WJ54874	मालखाना पोहरी पर	12.08.2014	खराब	6000/-	....
9.	502/16	इस्तगासा क्रमांक 05/06 शा0पु0 बैराड़ वि0 हजरत।	LML FREEDOM	---------	------	C7JK148858	मालखाना पोहरी पर	27.04.2016	खराब	4000/-	....
				मालखाना अनुभाग खनियाधाना पर रखे हुए वाहन							
10.	32/11	RCT 491/10 शा0पु0 खनियाधाना वि0 मनोज।	Bajaj MP 33 BA 4152	Bajaj	2004	DFFBLB08516D MMBLB 64449	थाना खनियाधाना पर।	16.11.2015	खराब।	4000/-	....

01/05/24

(विवेक पटेल)
प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुभाग
जिला न्यायालय शिवपुरी म0प्र0